पंजाब केसरी
SUN,09 AUGUST 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

शिक्षा बोर्ड ने जारी की मान्यता प्राप्त संस्थानों की नई सूची

धर्मशाला, 8 अगस्त (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने देश-विदेश के मान्यता प्राप्त और समकक्ष शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और ओपन स्कूलों की अपडेटेड सूची अपनी आधिकारिक वैबसाइट पर जारी कर दी है।

इस सूची का मुख्य उद्देश्य दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित करना है। अक्सर देखा जाता है कि छात्र अन्य राज्यों या फर्जी संस्थानों के प्रमाण-पत्रों के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, जिससे बाद में उनकी डिग्री खतरे में पड़ जाती है।

इसी समस्या से निपटने के लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रमाण-पत्र हाथ में होने से उसकी वैधता साबित नहीं होती। वैबसाइट पर उपलब्ध इस सूची में विभिन्न राज्यों के बोर्डों, स्टेट ओपन स्कूलों, नैशनल ओपन स्कूल और विदेशी शैक्षणिक बोर्डों की परीक्षाओं की समकक्षता का पूरा विवरण दिया गया है।

बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या मौखिक दावों पर भरोसा करने के बजाय केवल बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूची से ही किसी भी संस्थान की मान्यता की पुष्टि करें।

सही प्रमाण-पत्र, सही जानकारी और सही समय पर सत्यापन ही विद्यार्थी के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। छात्र और अभिभावक फर्जीवाड़े से बचने के लिए दाखिले से पहले बोर्ड की वैबसाइट पर उपलब्ध अपडेटेड लिस्ट अवश्य देख लें। संस्थानों को भी हिदायत दी गई है कि वे प्रमाण-पत्रों की जांच के बाद ही प्रवेश दें।

– डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

Dainik Savera Dt.09-08-2026

फर्जी डिग्री पर बोर्ड का शिकंजा, जारी की मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देश-विदेश के मान्य बोर्ड, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक निकायों का विवरणएडमिशन-भर्ती से पहले जांच लें अभ्यर्थी

सवेरा न्यूज/यशपाल सिंह

धर्मशाला,8 अगस्त : फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों और नामांकन में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने देश-विदेश के मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और अन्य वैध शैक्षणिक निकायों की अपडेटेड सूची जारी की है। यह सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और अब उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सरकारी-निजी नौकरियों में भर्ती के दौरान प्रमाण-पत्रों की मान्यता जांचने के लिए प्रामाणिक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि देश-विदेश में कई संस्थान अलग-अलग पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश या नियुक्ति देने से पहले संबंधित संस्थान की मान्यता की जांच जरूरी है। अपडेटेड सूची में विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, विदेशी बोर्ड तथा नेपाल समेत अन्य वैध शैक्षणिक निकायों का विवरण शामिल किया गया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूल-कॉलेजों और भर्ती एजेंसियों से अपील की है कि प्रमाण-पत्र स्वीकार करने से पहले सूची जरूर जांचें। बोर्ड के अनुसार, यदि कोई संस्था या अभ्यर्थी गैर-मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश अथवा अन्य शैक्षणिक लाभ लेता है, तो भविष्य में होने वाली कानूनी, प्रशासनिक या शैक्षणिक जटिलताओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था और छात्र की होगी।

मान्यता संबंधी सूचनाओं में समय के साथ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए संस्थानों और अभ्यर्थियों को हमेशा नवीनतम सूची ही देखनी चाहिए। इस पहल से फर्जी संस्थानों पर रोक लगाने के साथ विद्यार्थियों के हितों की रक्षा, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन को मजबूती मिलेगी।

(डा. राजेश शर्मा, चेयरमैन, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला)

Aapka Faisla Dt.09-08-2026

फर्जीवाड़े पर नकेल: हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBoSE) ने जारी की मान्यता प्राप्त बोर्डों और विश्वविद्यालयों की Updated List

धर्मशाला, (आपका फैसला)। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के बढ़ते मामलों और नामांकन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा

एडमिशन और नौकरी देने से पहले संस्थानों को लिस्ट चेक करने की सख्त हिदायत

छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने और शैक्षणिक पारदर्शिता की दिशा में बोर्ड का बड़ा कदम

बोर्ड (HPBoSE) ने एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने देश और दुनिया के मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष (Recognized/Equivalent) शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक निकायों की एक विस्तृत %अपडेटेड लिस्ट% जारी कर दी है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध यह सूची अब उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी व निजी नौकरियों की भर्ती के लिए एक प्रामाणिक संदर्भ (ऑथेंटिक रेफरेंस) के रूप में काम करेगी। बिना सत्यापन के एडमिशन या नौकरी न देने की अपील हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में देश-विदेश में अनेक संस्थान तरह-तरह के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश या नियुक्ति देने से पहले उस संस्थान की मान्यता जाँचना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह अद्यतन सूची सार्वजनिक की है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, विदेशी बोर्डों और नेपाल सहित अन्य वैध शैक्षणिक निकायों का पूरा विवरण शामिल है। अनदेखी की तो खुद जिम्मेदार होंगे संस्थान और छात्र बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूल-कॉलेजों और भर्ती एजेंसियों से विशेष आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने से पहले इस सूची का अनिवार्य रूप से अवलोकन करें। डॉ. शर्मा ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान या अभ्यर्थी इस सूची से बाहर के (गैर-मान्यता प्राप्त) किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश या अन्य शैक्षणिक लाभ प्राप्त करता है, तो भविष्य में पैदा होने वाली किसी भी कानूनी, प्रशासनिक या शैक्षणिक अड़चनों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था और छात्र की ही होगी। पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन की दिशा में मील का पत्थर डॉ. शर्मा के अनुसार, बोर्ड समय-समय पर मान्यता संबंधी सूचनाओं को अपडेट करता रहता है, इसलिए हितधारकों को हमेशा नवीनतम सूची पर ही भरोसा करना चाहिए। यह सावधानी न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाएगी, बल्कि संस्थानों को भी अनावश्यक विवादों से दूर रखेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड का यह कदम छात्रों के हितों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे फर्जी संस्थानों के मकड़जाल से बचने में बड़ी मदद मिलेगी।

Amar ujala Dt.09-08-2026

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष बोर्डों की नई सूची

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्राप्त और समकक्ष बोर्डों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक निकायों की अद्यतन सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। विद्यार्थियों को अमान्य अथवा गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने से बचाने के लिए यह नई सूची तैयार की है।

बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि प्रवेश के समय प्रमाणपत्रों की मान्यता और समकक्षता की नवीनतम स्थिति की जांच जरूर करें।

उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले नवीनतम सूची जांचने की संस्थानों को हिदायत

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रमाण पत्र को केवल जारी होने के आधार पर वैध अथवा समकक्ष मान लेना उचित नहीं है।

विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों को उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूची की जांच करनी चाहिए। सूची में विभिन्न राज्यों के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों, विवि, राज्य मुक्त विद्यालयों, संस्थानों और विदेशी बोर्डों, निकायों और विवि की परीक्षाओं तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के साथ उनकी समकक्षता की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि अन्य विश्वविद्यालयों, बोर्डों और शैक्षणिक निकायों की परीक्षाओं की समकक्षता अन्य विश्वविद्यालयों, बोर्डों और निकायों की परीक्षाओं की मान्यता संबंधी विनियम, 2009 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। ब्यूरो

मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो— धर्मशाला

- फर्जीवाड़े पर नकेल कसने को प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट की स्थिति
- छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने और शैक्षणिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के बढ़ते मामलों और नामांकन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि देश और दुनिया के मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक निकायों की विस्तृत अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध यह सूची अब उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी व निजी नौकरियों की भर्ती के लिए एक प्रामाणिक संदर्भ (ऑथेंटिक रेफरेंस) के रूप में काम करेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में देश-विदेश में अनेक संस्थान तरह-तरह के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश या नियुक्ति देने से पहले उस संस्थान की मान्यता जांचना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह अद्यतन सूची सार्वजनिक की है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, विदेशी बोर्डों और नेपाल सहित अन्य वैध शैक्षणिक निकायों का पूरा विवरण शामिल है। बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूल-कालेजों और भर्ती एजेंसियों से विशेष आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने से पहले इस सूची का अनिवार्य रूप से अवलोकन करें। डा. शर्मा ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान या अभ्यर्थी इस सूची से बाहर के (गैर-मान्यता प्राप्त) किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश या अन्य शैक्षणिक लाभ प्राप्त करता है, तो भविष्य में पैदा होने वाली किसी भी कानूनी, प्रशासनिक या शैक्षणिक जटिलता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था और छात्र की ही होगी। सूची के अनुसार, पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल इसके दायरे में आते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संस्थानों-केंद्रीय बोर्डों को स्थान

सूची में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख बोर्डों के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी शामिल किया है। विदेशी शिक्षा निकायों में इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, यूके का एडएक्सेल और भूटान हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रमुख हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई इंटरनेशनल, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) नोएडा और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है।

देश के इन विश्वविद्यालयों को मान्यता

इसके अलावा, देश के कई नामी विश्वविद्यालयों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को भी सूची में स्वीकृति दी गई है। इनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान और विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। इसके साथ ही, तेलंगाना की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज और आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी बोर्ड ने मान्यता प्राप्त संस्थानों की श्रेणी में रखा है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के प्रमुख शिक्षा बोर्डों को भी सूची में स्थान मिला है। दक्षिण भारत से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों से असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के शिक्षा बोर्डों के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है।

Divya Himachal Dt.09-08-2026

Dainik Jagran Dt.09-08-2026

मन्यता प्राप्त बोर्डों-विवि की संशोधित सूची जारी

फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों व नामांकन के दौरान फर्जीवाड़े रोकने की कवायद

- फर्जी भी प्रवेश और नियुक्ति लेने से पहले संस्थान मान्यता जांच लें : डा. राजेश शर्मा
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी

जागरण संवाददाता, बरेली। फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और नामांकन के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक निकायों की संशोधित सूची जारी की है। बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध यह सूची राज्य शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं व सरकारी और निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए प्रमाणपत्रों की वैधता जांचने में महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप काम करेगी।

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि देश-विदेश में कई संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में संस्थानों को मिलते प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश अथवा नियुक्ति देने से पहले संबंधित संस्थान की मान्यता की जांच करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से बोर्ड ने संशोधित सूची सार्वजनिक की है। सूची में देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, विदेशी बोर्डों तथा नेपाल सहित अन्य शैक्षणिक निकायों का विवरण शामिल किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूल-कालेजों और भर्ती एजेंसियों से आग्रह किया कि किसी भी प्रमाणपत्र को स्वीकार करने से पहले नवीनतम सूची में संबंधित बोर्ड या विवि की मान्यता अवश्य जांचें। यदि कोई संस्थान या अभ्यर्थी सूची से बाहर के गैर-मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश या अन्य शैक्षणिक लाभ प्राप्त करता है, तो कानूनी, प्रशासनिक अथवा शैक्षणिक जटिलताओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था और छात्र की होगी। मान्यता से संबंधित सूचनाएं समय-समय पर अपडेट होती रहती हैं। इसलिए सभी हितधारकों को हमेशा नवीनतम सूची को ही आधार बनाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को फर्जी संस्थानों के जाल में फंसने से बचाने के साथ संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को भी भविष्य के विवादों से बचाया जा सकेगा। यह पहल छात्रों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

मान्यता प्राप्त बोर्डों और विश्वविद्यालयों की सूची देखने के लिए स्कैन करें।

Himachal Dastak Dt.09-08-2026

मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष बोर्डों/विश्वविद्यालयों की सूची जारी की

धर्मशाला। विद्यार्थियों को अमान्य अथवा गैरमान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष बोर्डों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक निकायों की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। ये सूची विशेष रूप से उच्च शिक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से मान्यता एवं समकक्षता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में तैयार की गई है।

AUGUST 9, 2026 SUNDAY DHARAMSHALA

The Sunny Times

END OF THE SCAM: HIMACHAL BOARD MANDATES STRICT DEGREE CHECKS FOR JOBS AND ADMISSIONS

Sunny Mahajan | Dharamshala

The era of slipping through the cracks with a fabricated educational certificate in Himachal Pradesh is officially over. In a bold, aggressive move to crush the growing menace of fraudulent degrees and admission scams, the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBoSE) has released an updated, exhaustive directory of genuinely recognized education boards and universities. This master list, now live on the board's official website, serves as the ultimate mandatory checkpoint for schools, colleges, and both government and private employers to verify credentials before handing out a college seat or a job offer.

HPBoSE Chairman Dr. Rajesh Sharma pulled no punches while announcing the new mandate, pointing out that the current educational landscape is dangerously flooded with unverified institutions peddling questionable courses. To cut through the deception, the board's newly published directory clearly outlines every legitimate academic entity, ranging from various state boards and universities across India to authorized foreign educational bodies, including those in Nepal. Dr. Sharma issued a strict, non-negotiable directive to all hiring agencies and educational institutions: verify the paper before you trust the candidate.

This sweeping reform comes with heavy stakes for anyone looking to bend the rules. The board has made it crystal clear that if a student secures admission or a job using a certificate from an unrecognized, unlisted entity, both the candidate and the accepting institution will be held entirely responsible for the resulting legal and administrative nightmare. By urging parents, students, and recruiters to rely solely on this dynamically updated list, HPBoSE is setting a massive roadblock for degree mills. This hard-hitting initiative is a major leap forward for digital governance, ensuring that genuine talent is protected and the state's educational integrity remains bulletproof.